कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला इन्दौर (म.प्र.)

क्रमांक/आब/ठेका/2018/ इन्दौर, दिनांक ....

विज्ञप्ति

(देशी/विदेशी मदिरा दुकानों का पुनर्निष्पादन)

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिये राज्य शासन के आदेशों के प्रकाश में यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2017–18 की अवशेष अवधि अर्थात पुनर्निष्पादन पूर्ण होने के दिनांक से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिये इन्दौर जिले के निम्नलिखित मदिरा एकल समूहों का मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 27 दिनांक 18 जनवरी 2017 की कंडिका 49 अनुसार पुनर्निष्पादन उक्त राजपत्र में अधिसूचित निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों के अधीन निर्धारित आरक्षित मूल्य पर ई–टेण्डर के माध्यम से जिला कलेक्टर इन्दौर की अध्यक्षता में गठित जिला समिति द्वारा किया जावेगा।

निरस्त किये गये 02 मदिरा एकल समूहों में सम्मिलित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के पुनर्निष्पादन हेतु इच्छुक पात्र आवेदको से ई–टेण्डर द्वारा पुनर्निष्पादन निम्नांकित कार्यक्रम अनुसार कलेक्टोरेट सभागृह इन्दौर में किया जावेगा :–

ई–टेण्डर के माध्यम से पुनर्निष्पादन की तिथि एवं कार्यक्रम :–

1.	ई–टेण्डर हेतु ऑन–लाईन टेंडर प्रपत्र डाउनलोड करने का समय एवं तिथियां	दिनांक 21 फरवरी 2018 को दोपहर 12:00 बजे से 26 फरवरी 2018 अपरान्ह 02:00 बजे तक।
2.	ऑन–लाईन ई–टेण्डर आफर सबमिट करने का अंतिम समय एवं तिथि	दिनांक 26 फरवरी 2018 अपरान्ह 15:30 बजे तक।
3.	जिला समिति द्वारा ई–टेण्डर के निराकरण किये जाने की तिथि एवं समय	दिनांक 26 फरवरी 2018 को सायंकाल 16:30 बजे से कार्यवाही पूर्ण होने तक।

इंदौर जिले की ई–टेण्डर के माध्यम से निष्पादित होने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों के सम्बंध में आवश्यक जानकारी ई–टेंडर सुविधा प्रदाता मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के पोर्टल www.mpeproc.gov.in पर अपलोड/घोषित की जा रही है। ई–टेण्डर की कार्यवाही में जो व्यक्ति/फर्म/कम्पनी भाग लेना चाहें, वे इस संबंध में उल्लेखित वर्णित प्रक्रिया, शर्तों एवं प्रतिबंधों के अंतर्गत ई–टेण्डर द्वारा मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के पोर्टल www.mpeproc.gov.in पर ऑफर दे सकते है।

ई–टेण्डर द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकानों/एकल समूहों की सूची, उनका स्थान, उनका आरक्षित मूल्य, टेण्डर प्रपत्र का मूल्य, जमा की जाने वाली धरोहर राशि, देशी एवं विदेशी मदिरा की खपत (सेलपेपर) एवं ड्यूटी की दर, ई–टेण्डर प्रपत्र क्रय करने, भरने तथा वांछित अभिलेख/संलग्नकों सहित ई–टेण्डर जमा (अपलोड) करने की प्रक्रिया आदि की जानकारी मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के पोर्टल www.mpeproc.gov.in पर उपलब्ध रहेगी। इच्छुक टेण्डरदाता उक्त पोर्टल से ही ई–टेंडर फार्म डाउनलोड तथा भरा हुआ फार्म संलग्नकों सहित अपलोड कर सकेंगे।

कोई भी सामान्य व्यक्ति www.mpeproc.gov.in के होमपेज पर लाईव टेंडर के आप्शन के अंतर्गत आबकारी विभाग का चयन कर एडवांस सर्च के माध्यम से इंदौर जिले की मदिरा दुकानों/एकल समूहों की जानकारी प्राप्त कर सकता है।

किसी देशी अथवा विदेशी मदिरा की एकल दुकान/एकल समूह के लिए एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी एक ही ई–टेंडर प्रस्तुत कर सकेंगे। परंतु एक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी एक से अधिक अथवा सभी मदिरा दुकानों/एकल समूहों के लिए अलग–अलग ई–टेंडर प्रस्तुत कर सकेंगे।

ई–टेण्डर द्वारा निष्पादित किये जाने वाले 02 मदिरा एकल समूहों (जिसमें 05 देशी मदिरा एवं 02 विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानें सम्मिलित है) की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	मदिरा दुकान/एकल समूह का क्रमांक व नाम	एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों के नाम	लायसेंस का वर्गीकरण (ऑन/ ऑफ)	मदिरा दुकान/एकल समूह का वर्ष 2017–18 की शेष समयावधि 27.02.2018 से दिनांक से 31 मार्च 2018 तक के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	IND/F-37 स्टेशन रोड़ महू	वि.म.दु. स्टेशन रोड़ महू	ऑफ	3578034
		दे.म.दु. तोपखाना, महू	ऑन	2428586
		दे.म.दु. आम्बा चन्दन	ऑन	1212179
				7218799
2	IND/F-36 कांकरिया	वि.म.दु. कांकरिया	ऑफ	2573916
		दे.म.दु. मानपुर	ऑन	1158756
		दे.मु.द. खेड़ी सिहोद	ऑन	555663
		दे.म.दु. हासलपुर	ऑन	380440
				4668775

उपरोक्तानुसार ई–टेंडर प्रक्रिया हेतु पोर्टल में पंजीयन करने, भुगतान प्रक्रिया तथा इ–टेण्डर प्रक्रिया का का प्रशिक्षण प्राप्त करने एवं इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने हेतु ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल के हेल्प डेस्क, टोल फ्री नंबर 1800 258 8684 अथवा 8269207537 पर किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते है। साथ ही ई–मेल आई.डी. eproc_helpdesk@mpsedc.com पर अपनी पृच्छा कर सकते है।

टेण्डर दाता अर्नेस्टमनी की राशि (धरोहर राशि का 50 प्रतिशत) को केवल www.mpeproc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाईन जमा करेगा। टेण्डरदाता ऑन लाईन अर्नेस्टमनी की राशि (धरोहर राशि का 50 प्रतिशत) का उक्त पोर्टल पर Payment के ही अंतर्गत क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, Net Banking एवं NEFT/RTGS के माध्यम से भुगतान कर सकता है। इस भुगतान के उपरांत जनरेटेड चालान का प्रिंट टेण्डरदाता आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।

जब टेण्डरदाता द्वारा ऑनलाईन अर्नेस्टमनी (धरोहर राशि का 50 प्रतिशत) का भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से किया जाय तो यह भुगतान टेण्डर सबमिट करने की निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय से न्यूनतम 48 घंटे पूर्व कर लेना चाहिए ताकि उक्त राशि पोर्टल के संबंधित खाते में यथासमय अंतरित हो सके क्योंकि जमा राशि के पोर्टल के खाते में अंतरण के अभाव में टेण्डरदाता अपना टेण्डर सबमिट नहीं कर सकेगा। किसी तकनीकी त्रुटि अथवा अन्य कारण से अर्नेस्टमनी की राशि जमा/अपलोड न होने पर विभाग का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त सभी शर्तें एवं निर्बन्धन इंदौर जिले के वर्ष 2018–19 के "घोष विक्रय ज्ञापन" अनुसार रहेंगी। "घोष विक्रय ज्ञापन" की प्रति निर्धारित शुल्क का भुगतान कर कार्यालय से प्राप्त की जा सकेगी।

टीप :– विशिष्ट परिस्थितियों में निष्पादन कार्यवाही स्थगित/निरस्त करने का अधिकार अनुज्ञापन प्राधिकारी को सुरक्षित रहेगा।

Sd/-
कलेक्टर
जिला इन्दौर (म.प्र.)

(1010)

पृष्ठा.क्रमांक/आब./ठेका/2018/ 1012

इन्दौर, दिनांक 22-2-2018

प्रतिलिपि,

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. आयुक्त जनसम्पर्क, बाणगंगा, भोपाल की ओर विज्ञप्ति की 10 प्रतियां मय सॉफ्ट कॉपी की सी.डी. प्रेषित कर अनुरोध है, कि कृपया उक्त विज्ञप्ति को तीन राज्य स्तरीय समाचार पत्रों एवं 04 स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।

4. अपर आबकारी आयुक्त, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता संभाग .... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी जिला .... (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .... जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
8. प्रभारी अधिकारी, जिला सूचना केन्द्र, (एन.आई.सी.) इंदौर की ओर जिले की वेबसाईट में अपलोड करने हेतु।
9. समस्त तहसीलदार तहसील .... जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
10. संयुक्त संचालक सूचना एवं प्रकाशन विभाग, जन संपर्क कार्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने हेतु।
11. सहायक जिला आबकारी अधिकारी/आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त .... जिला इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं प्रचार–प्रसार हेतु।
12. मद्य भाण्डागार अधिकारी इन्दौर/महू की ओर सूचनार्थ एवं सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।
13. कार्यालय सहायक आयुक्त आबकारी जिला इन्दौर, कक्ष क्रमांक 209, प्रशासनिक संकुल, इंदौर के सूचना पटल पर चस्पा करने हेतु।

कलेक्टर
जिला इन्दौर (म.प्र.)